

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:-प.8(ग)(66)नियम/डीएलबी/12/7668

दिनांक: 1-9-2023

अधिसूचना

आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर की अभिषंशा पर राज्य सरकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 325 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जोधपुर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि-2015 के क्लॉज 10 (ग) में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में निम्नानुसार शिथिलता/छूट प्रदान करती है:-

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के पंजीयन शुल्क विलम्ब से जमा कराने पर देय शास्ति एवं विलम्ब शुल्क में शतप्रतिशत छूट देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 1-9-2023

क्रमांक:-प.8(ग)(66)नियम/डीएलबी/12/7669-7675
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
03. महापौर, नगर निगम जोधपुर उत्तर।
04. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर उत्तर।
05. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय लेखन मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र में प्रकाशन करने एवं 10 प्रतियां प्रस्तुत कराने हेतु प्रस्तुत है।
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी